न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 90/2024

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. उदयपुरी पुत्र मोड़पुरी 2. बाबूपुरी पुत्र मोडपुरी जातियान– गोस्वामी, निवासी– साथुणी पुरोहितान तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पचपदरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 315/2023 अनवान तहसीलदार, पपचदरा बनाम उदयपुरी वगैराह में दिनांक 30.07.2024 को पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री करणसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष दिनांक 13.10.2023 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ग्राम गुलाम हुसैन नगर के खसरा संख्या 320/59 की रकबा भूमि में से मौके पर मुकनपुरा सड़क से भाईयो की ढाणी तक बारहमासी आम रास्ता जो ग्रामीणों के उपयोग में जो भूमि आ रही है, उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान की सुनवाई किये जाने के उपरांत तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में से मौके पर बारहमासी आम रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2024 को पारित कर दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.2024 को पेश की गई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित आदेश धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों व राज्य सरकार के परिपत्र का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला है। धारा 131 में किसी खातेदार की खातेदारी भूमि में रास्ता दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में ऐसा प्रावधान दिया हुआ है। अपीलार्थी की भूमि ख0सं0 59 ग्राम गुलाम हुसैन नगर में से कोई रास्ता कभी नहीं चलता था और न ही रास्ता के कोई अलामत है। राजस्व विभाग द्वारा मौके के विपरित प्रस्ताव भेजा है जिसको उपखण्ड अधिकारी के द्वारा स्वीकृत कर अपीलार्थी की भूमि में से रास्ता स्थापित करने का आदेश दे दिया गया है जो निरस्त योग्य है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर वर्षो से काश्त करता रहा है। इस पर कोई रास्ता नहीं चलता है जिस स्थान पर रास्ता बताया गया है वहॉं अपीलार्थी के बाड़े व मकानात बनाये हुए है। पटवारी हल्का के द्वारा जो मौका रिपोर्ट पेश की गई, उससे भी स्पष्ट था कि मौके पर कोई रास्ता उक्त भूमि में नहीं चलता है एवं न ही कोई रास्ते के अलामात है व न कोई रास्ते की आवश्यकता है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का की अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसे बाद में उपखण्ड अधिकारी के कहने से संशोधन किया गया जो पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 58 व ख0सं0 57 एक ही परिवार के लोगो की भूमि है एवं ख0सं0 58 सड़क से लगता हुआ है परन्तु जानबूझकर ख0सं0 59 में से रास्ता देने का आदेश दे दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मामले को ऐसे निर्णित किया गया है जैसे कि उनके समक्ष धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण विचाराधीन हो। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003 दिनांक 10.8.2016 एवं दिनांक 30.09.2021 का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला गया है। उक्त परिपत्र कोई कानून नहीं है एवं न ही अधिकारियों पर बाध्यकारी है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2024 को निरस्त किया जायें।

संम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष दिनांक 13.10.2023 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ग्राम गुलाम हुसैन नगर के खसरा संख्या 320/59 की रकबा भूमि में से मौके पर मुकनपुरा सड़क से भाईयो की ढाणी तक बारहमासी आम रास्ते की भूमि जो ग्रामीणों के उपयोग में आ रही है, उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि में से मौके पर बारहमासी आम रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2024 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा उनकी ओर से लिखित में जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई किये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त वर्णित रास्ते की भूमि राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससें यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.10.2023 को तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ग्राम गुलाम हुसैन नगर के खसरा संख्या 320/59 की रकबा भूमि में से मौके पर मुकनपुरा सड़क से भाईयो की ढाणी तक बारहमासी आम रास्ते की भूमि जो ग्रामीणों के उपयोग में आ रही है, उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि में से मौके पर बारहमासी आम रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2024 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा उनकी ओर से लिखित में जवाब भी पेश किया गया। उल्लेखित रास्ता भूमि बाबत तहसीलदार पचपदरा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को पटवारी हल्का की ओर से पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 26.8.2023 के अनुसार नवप्रस्तावित रास्ता मुकनपुरा सड़क से भइयों की ढाणी तक बारहमासी आम रास्ता मौके पर चल रहा है जिसमें हल्के वाहन इत्यादि वाहनों का आवागमन हो रहा है तथा अंतिम छोर पर काफी संख्या में आबादी निवास करती है। ख0सं0 320/59 के अलावा आगे के सभी खसरो में से 1.50 कि0मी0 रास्ता कटाण दर्ज होना तथा रास्ता भूमि अतिक्रमण मुक्त व आवागमन हेतु चालू होना उल्लेखित किया गया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई किये जाने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्टस् के द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर उनके रहवासीय मकान, पानी टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बने होना बताया है परन्तु इस सम्बन्ध में उनकी ओर से ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है।

7. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट्स के ख0सं0 320/59 रकबा 1.4245 हैक्टर में से रकबा 0.0323 हैक्टर भूमि को राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक गैर मुमकिन दर्ज किये जाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो उल्लेखित खसरा भूमि के आगे निवासरत परिवारों के लिये आवागमन की सुविधा को देखते हुए तथा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाना पाया जाता है, साथ ही राज्य सरकार के राजस्व विभाग(ग्रुप–6),जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003 दिनांक 10.8.2016 एवं राजस्व विभाग (ग्रुप–6), जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दू संख्या 4(2) में विहित प्रावधान के अनुसरण में मौके पर चल रहे कदीमी एवं बारहमासी रास्तों का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की कार्यवाही के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें किसी प्रकार की विधि की त्रुटि नहीं की गई है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर